

श्रीमती बेबी रानी मौर्य,
राज्यपाल उत्तराखण्ड
एवं कुलाधिपति
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल,
टिहरी गढ़वाल।



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या 716 / जी0एस/शिक्षा / C11-1/2019
देहरादून: दिनांक: 28 मई, 2019

:-आदेश:-

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय के आदेश संख्या 914/जीएस/शिक्षा/ C11-1/2016 दिनांक 31 मई, 2016 के द्वारा डा0 यू0एस0 रावत को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। डा0 यू0एस0 रावत कुलपति का कार्यकाल दिनांक 31-05-2019 को पूर्ण हो रहा है।

चूंकि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, अतः नियमित कुलपति के चयन में समय लगने के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा-10 (9) में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में कुलाधिपति में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अन्तरिम व्यवस्था हेतु दिनांक 01 जून, 2019 से आगामी छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए डा0 यू0एस0 रावत को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है।


बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति।

संख्या 716 (1) जी0एस0 शिक्षा / C11-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के चयन का पैनल शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 5- कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टि0ग0।
- 6- कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टि0ग0।
- 7- निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
- 8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,


28/05/19
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल।